भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2513

उत्तर देने की तारीख 04 अगस्त, 2025
13 श्रावण, 1947 (शक)

जनजाति-बहुल क्षेत्रों में खेल प्रशिक्षण केंद्र

2513. श्री वीरेन्द्र सिंह :

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश के सबसे पिछड़े/जनजातीय क्षेत्रों के युवाओं की प्रतिभा को निखारने और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में सहायता करने के लिए कोई कार्य योजना है;

(ख) क्या राष्ट्रीय खेल आयोजनों में भाग लेने हेतु जनजातीय बच्चों को प्रशिक्षित करने के लिए जनजाति-बहुल क्षेत्रों में खेल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की कोई योजना है;

(ग) यदि हाँ, तो इसका क्रियान्वयन कब तक किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के जनजातीय क्षेत्र में तीरंदाजी, फुटबॉल, कबड्डी आदि के लिए खेल के मैदान / स्टेडियम बनाने का है;

(ङ) यदि हाँ, तो इस मद के अंतर्गत आवंटित की जा रही धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) 'खेल' राज्य का विषय होने के कारण देश के सबसे पिछड़े/जनजातीय क्षेत्रों के युवाओं के बीच प्रतिभाओं को निखारना और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में मदद करना, जनजाति-बहुल क्षेत्रों में खेल प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना करके जनजातीय बच्चों को राष्ट्रीय खेल आयोजनों में भाग लेने के लिए प्रशिक्षित करना और तीरंदाजी, फुटबॉल, कबड्डी आदि के लिए खेल मैदान/स्टेडियम का निर्माण करने सहित खेलों के विकास की जिम्मेदारी मुख्य रूप से संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की है। केंद्र सरकार केवल महत्वपूर्ण कमियों को दूर करके उनके प्रयासों में सहायता करती है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, उत्तर प्रदेश राज्य के जनजाति-बहुल क्षेत्रों सहित देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित स्कीमों का कार्यान्वयन करता है:

(i) खेलो इंडिया - राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम;
(ii) राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता;
(iii) अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में पदक विजेताओं और उनके कोचों को नकद पुरस्कार;
(iv) राष्ट्रीय खेल पुरस्कार;
(v) मेधावी खिलाड़ियों को पेंशन;
(vi) खिलाड़ियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कार्यक्रम;
(vii) राष्ट्रीय खेल विकास निधि; और
(viii) भारतीय खेल प्राधिकरण के माध्यम से खेल प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन।

उपरोक्त स्कीमों का विवरण इस मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण की वेबसाइटों पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है।

(ख) और (ग) खेलो इंडिया स्कीम, राष्ट्रीय खेल विकास निधि और भारतीय खेल प्राधिकरण की खेल संवर्धन स्कीमों के अंतर्गत जनजाति-बहुल क्षेत्रों सहित देश भर में विभिन्न खेल प्रशिक्षण केंद्रों और खेल अकादमियों को सहायता दी जा रही है ताकि जनजातीय बच्चों को राष्ट्रीय खेल आयोजनों में भाग लेने के लिए प्रशिक्षित किया जा सके।

(घ) से (च) इस मंत्रालय में उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के जनजातीय क्षेत्र में तीरंदाजी, फुटबॉल, कबड्डी आदि के लिए खेल मैदान/स्टेडियम बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****